अनुलग्नक

स्थानीय ग्रामीण प्रशासन द्वारा कोविड-19 प्रबंधन के लिए पंचायती राज मंत्रालय की सलाह के अनुसार राज्यवार प्रमुख प्रयास।

क्रम संख्या	**राज्य**	प्रमुख प्रयास
1.	आन्ध्र प्रदेश	• कोरोना कट्टडी (निगरानी) समिति का गठन • जीपी स्तर पर मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं का संकल्प • समग्र स्वच्छता और घर-घर निगरानी
2.	अरुणाचल प्रदेश	• जिला आयुक्तों को प्रमुख दिशा-निर्देशों के साथ जारी परामर्श जिनमें सार्वजनिक स्थानों का व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन, ग्राम निगरानी समितियों का गठन सभी सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना शामिल है।
3.	असम	• लोगों की आवाजाही की निगरानी के लिए ग्राम रक्षा दल और प्रवासी डेटाबेस तैयार करना • 15 वें वित्त आयोग की अबद्ध अनुदान की राशि स्वच्छता के लिए निर्धारित राशि
4.	बिहार	• गांवों के सभी परिवारों को मास्क का वितरण • रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मास्क की स्थानीय खरीद • व्यापक स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग के अबद्ध अनुदान का उपयोग।
5.	गुजरात	• स्व-घोषित लॉकडाउन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाता है • पल्स ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर गन और एंटीजन टेस्ट किट के माध्यम से घर-घर जाकर निगरानी करना • रोगियों के परिवारों की सहायता के लिए गांवों में ग्राम योद्धा समिति
6.	हरियाणा	• आवधिक जागरूकता कार्यक्रम • ग्राम निगरानी समिति का गठन • प्रवासी मजदूरों के लिए विशिष्ट चतुर्थक/आइसोलेशन केंद्र
7.	हिमाचल प्रदेश	• उचित क्वारंटाइन और अलगाव सुनिश्चित करने के लिए घर-घर निगरानी सभी आवासों की स्वच्छता और स्वयं सहायता समूहों द्वारा मास्क की सिलाई • कोरोना संक्रमित परिवारों के लिए राशन और मेडिकल किट
8.	झारखण्ड	• पंचायत भवन, सरकारी स्कूल, सामुदायिक भवन को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है • जागरुकता फैलाने के लिए गूगल मीट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है

		• सभी प्रखंडों के लिए संदेश समूह बनाए गए हैं
9.	कर्नाटक	• जीपीटीएफ और वीटीएफ को एएनएस राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मैसूर के साथ जीपी स्तर और क्षमता निर्माण पर पुनर्जीवित किया गया है • गरीबों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने वाले जीपीटीएफ
10.	केरल	• संपर्क अनुरेखण के लिए स्थापित संरचनात्मक प्रतिक्रिया तंत्र, होम आइसोलेशन या संगरोध के तहत परिवारों को सहायता; सूचना का प्रवाह • सामुदायिक परामर्शदाताओं, लिंग संसाधन व्यक्तियों के साथ कुदुम्बश्री सामुदायिक नेटवर्क का निर्माण • खोज, तैयारी, क्वारंटाइन और कोविड देखभाल केंद्रों का प्रबंधन (ट्राएल के आधार पर)
11.	मध्य प्रदेश	• उच्च संक्रमण वाले गांवों में कंटेनमेंट जोन (कोविड दिशानिर्देशों के अनुसार) की स्थापना • सक्रिय कोविड रोगियों की संख्या के आधार पर गांवों/ग्राम पंचायतों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का गठन • ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं
12.	महाराष्ट्र	• मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी जागरूकता अभियान की शुरुआत • कोरोना रोकथाम समिति का गठन • डोर टू डोर सर्विलांस चेकिंग इनविटल्स और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी
13.	नागालैण्ड	• पंचायतों और लोगों के बीच मजबूत कड़ी के रूप में ग्राम परिषदें • ग्राम परिषदों के तहत सदस्यों के लिए उचित प्रशिक्षण
14.	पंजाब	• अन्य राज्यों से प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध • प्रत्येक गांव में ग्राम निगरानी समितियों (वीएमसी) का गठन • गांव 'नाइट कर्फ्यू' और 'वीकेंड कर्फ्यू' के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ठिकरीपहरा आयोजित कर रहे हैं।
15.	राजस्थान	• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्रिय सहयोग से चिकित्सा किट का वितरण किया जा रहा है • सीईओ, जिला पंचायत कार्यालय सभी कोविड संबंधित निर्देशों को पूरा करने के लिए नोडल अधिकारी है • सर्वेक्षण रिपोर्ट और चिकित्सा किट वितरण स्थिति रिपोर्ट का दैनिक मूल्यांकन
16.	सिक्किम	• पंचायती राज संस्थाओं के साथ आवधिक चर्चा • वेब-आधारित टूल जैसे कि यूट्यूब लाइव के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र • कोविड के संक्रमण को प्रतिबंधित करने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण
17.	त्रिपुरा	• ग्राम पंचायत में समितियां • कोविड-19 प्रोटोकॉल व्यवहार का पालन करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान

18.	उत्तर प्रदेश	• सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम निर्गनी समिति स्वच्छता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। • नियमित सफाई, फॉगिंग, पोछा लगाने के लिए हर गांव में सफाई कर्मचारी • कोविड से संबंधित मौतों के दाह संस्कार के लिए वित्तीय सहायता
19.	उत्तराखण्ड	• प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम निगरानी समितियों (वीएमसी) का गठन किया जाता है • उचित सुपुर्दगी सुनिश्चित करने और निगरानी करने के लिए ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिस्पांस टीम बनाई गई • चौबीसों घंटे हेल्प डेस्क प्रणाली - पंचायती राज निदेशालय
20.	पश्चिम बंगाल	• पंचायतें, सीबीओ, एनजीओ और एसएचजी के साथ जागरूकता पैदा करने के अभियान चला रही हैं • स्थानीय बाजारों/हाटों के सुरक्षित संचालन को सक्षम बनाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को खाद्यान्न का सुचारू वितरण करना